संख्या : 911 /I/2009-03(8)/18/2006

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उरेडा,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग, देहरादून : दिनांक : 3 | जुलाई, 2009

विषय :– ग्रामीण सहभागिता आधारित लघु जल विद्युत परियोजना गोगीना–2 क्षमता 50 कि0वा0 के पुनरीक्षित आंकलन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित आपके पत्र सं0–1615/उरेडा/4(1)–107/गोगीना–2/2005 दि0–31.10.08 एवं पत्र सं0–36/उरेडा/4(1)–107/गोगीना–2/2008 दि0–06–04–09 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें उक्त परियोजना के सिविल कार्यों में वर्किंग ड्राईंग के अनुसार लागत में हो रहे विचलन के कारण पुनरीक्षित आगणन की धन राशि रू0 26.89 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

सूच्य है कि शासनादेश सं0–1343/I/2006-03(8)/18/2006 दिनांक 18–09–2006 द्वारा उक्त जल विद्युत परियोजना के सिविल, E&M, T&D एवं अन्य कार्यों हेतु कुल रू0 68.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई हैं जिसमें सिविल कार्यों हेतु धनराशि रू0 14.81 लाख की स्वीकृति शामिल है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त परियोजना के सिविल कार्यों में वर्किंग ड्रॉईंग के अनुसार लागत में हुये विचलन के कारण आपके द्वारा प्रस्तावित पुनरीक्षित आंगणन की धनराशि रू0 26.89 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकृत औचित्यपूर्ण धनराशि रू0 26.29 लाख (रुपये छब्बीस लाख उन्तीस हज़ार मात्र) अर्थात अतिरिक्त धनराशि रू0 11.48 (रुपये ग्यारह लाख अड़तालीस हज़ार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1. आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का, जो दरें शैड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृति हेतु मानक हो, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3. एक मुश्त प्राविधानों का विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्राप्त की जाय।

4. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरुप ही कार्यों को सम्पादित किया जाय।

5. आगणन में जिन मदों हेतु जो धनराशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

6. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा लिया जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810 के सुसंगत मदों से यथासमय आवंटित धनराशि एवं भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश से वहन किया जायेगा। जो धनराशि, जन सहभागिता के सक्षम लाभार्थी अंश से प्राप्त की जानी है, उसे यथासमय प्राप्त कर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-130/XXVII(2)/2009 दिनांक 27 जुलाई, 2009 से प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या : 911 I/2009-03(8)/18/2006, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, ओबरॉय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता, टी0ए0सी0 (वित्त), उत्तराखण्ड शासन।
4. वित्त अनुभाग-2,
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
अनु सचिव